



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०  
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.



पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2023-394

दिनांक / 2 अप्रैल, 2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज, उ०प्र०।

विषय : परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम (एम०ए०, एमएस-सी० एवं एम०काम०) में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया-2023 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रक्रिया से अवगत होते हुए अपने महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में प्रवेश करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी।
2. समस्त अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्ष।
3. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव



**PRSU** | Dedicated to  
**EXCELLENCE**



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## परास्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया – 2023

{विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अशासकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में परास्नातक (एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी०) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु}

### प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (PRSU)

नैनी, प्रयागराज - 211010

Website: [www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)

## संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दना। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपने 14 शैक्षणिक विभागों और 657 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 5.14 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित करते हुए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान कर रहा है।



अकादमिक शैक्षणिक उत्कृष्टता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभिन्न संकायों में स्नातक, परास्नातक और शोध के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक विभागों के माध्यम से कला, वाणिज्य व प्रबंधन के क्षेत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

प्रभावी एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालय एवं उनके समर्पित शिक्षकों द्वारा नवीनतम तकनीक एवं शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें अनुभवात्मक एवं सहभागी अधिगम तथा समस्या समाधान आदि पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। इस माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास के साथ-साथ युवा मन को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है।

विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग के माध्यम से पाठ्येत्तर गतिविधियों - खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के साथ-साथ प्लेसमेंट सम्बन्धी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

मैं प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में अधिगम के समृद्ध अनुभव एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व के विकास हेतु आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

डॉ० अखिलेश कुमार सिंह  
कुलपति

## विश्वविद्यालय एक दृष्टि में

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून, 2016 में की गयी थी। विश्वविद्यालय ने विगत छः वर्षों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शैक्षिक-कैलेण्डर के अनुसार सत्र-नियमन से लेकर सेमेस्टर प्रणाली, सी०बी०सी०एस० प्रणाली, मानक पाठ्यक्रम, न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, समयानुसार प्रवेश तथा परीक्षा को शुचिता पूर्ण सम्पन्न कराकर विश्वविद्यालय ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक नये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि परिसर में पठन-पाठन के साथ-साथ सम्बद्ध किये गये प्रयागराज मण्डल के चारों जनपदों (प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़) में स्थापित 657 से अधिक महाविद्यालयों में ऑनलाइन सम्बद्धता, ऑनलाइन प्रवेश-पद्धति, ऑनलाइन शुल्क-भुगतान और पठन-पाठन के लिए उत्कृष्ट वातावरण का सृजन किया है। विश्वविद्यालय अपनी कार्यप्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगभग सभी कार्यों में तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण, प्रवेश पत्र, प्रतिलेख प्रमाण पत्र एवं उपाधि प्रमाण पत्र इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय चुनौती मूल्यांकन, स्कूटनी एवं आर०टी०आई० के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निस्तारण कर रहा है। विश्वविद्यालय डिजिटल लॉकर पर विद्यार्थियों की सत्र 2016 से 2022 तक की समस्त अंकतालिकाएं एवं उपाधियाँ अपलोड कर चुका है तथा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी डिजीलॉकर के माध्यम से प्रारम्भ कर चुका है। विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में लगभग 5.14 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कला तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में 14 विषयों में सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पी-एच०डी० पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर चुका है। विश्वविद्यालय अनुसंधानपरक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय गत सत्र से सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट-ग्रेडिंग एवं सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 5 एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA, IPC, IPM) प्रारम्भ कर चुका है, जो पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे तथा जिसमें विद्यार्थी मात्र एक प्रवेश से स्नातक (BA, B.Com, BBA) के साथ-साथ परास्नातक (MA, M.Com, MBA) उपाधि भी प्राप्त कर सकेगा। इन एकीकृत पाठ्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की सुविधा होगी। अतः विद्यार्थी यदि एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन छोड़ देता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार दो वर्ष पश्चात् डिप्लोमा, तीन वर्ष पश्चात् स्नातक उपाधि, चार वर्ष में स्नातक (शोध) उपाधि तथा पाँच वर्ष पूर्ण करने पर परास्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय सत्र 2023-2024 से नवीन संकायों – फार्मेसी, विज्ञान, विधि एवं कृषि संकाय के अन्तर्गत बी.फार्म., बी.सी.ए., एम.सी.ए., बी.ए.एल.एल.बी. (ऑनर्स), एल.एल.एम., बी.एस-सी. कृषि (ऑनर्स), एम.एस-सी. कृषि- हॉर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, मृदा विज्ञान, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन इत्यादि पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहा है। जिनमें प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी है। इन नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी व्यवसायिक प्रवेश प्रक्रिया (CET-2023) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय भविष्य में लगभग सभी विषयों में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तृत जानकारी एवं नवीन सूचना के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.prsuniv.ac.in](http://www.prsuniv.ac.in)) का अवलोकन निरन्तर करते रहें।

# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

## परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया

(सत्र : 2023-2024)

### महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश हेतु आवेदन एवं वेब पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	12-04-2023
आवेदन/ वेब पंजीकरण एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	20-06-2023

### खण्ड-क

#### (महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें)

1. इस प्रवेश विवरणिका में वर्णित समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/ अशासकीय अनुदानित तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2023-2024 के लिए परास्नातक (एम०ए०, एम०कॉम० एवं एम०एस-सी०) प्रवेश से सम्बन्धित हैं।
2. सत्र 2023-2024 में प्रवेश प्रक्रिया समस्त महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर सम्पन्न करेंगे; किन्तु प्रवेश से सम्बन्धित दिशानिर्देश समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में प्रवेश स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
4. समस्त महाविद्यालय प्रतिदिन प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध कराये गये **वेब पंजीकरण फॉर्म-2023 (Web Registration Form-2023)** के माध्यम से करेंगे। यदि किसी महाविद्यालय ने उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं किया तो वे सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकार्य होंगे।
5. **वेब पंजीकरण फॉर्म प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि से कॉलेज लॉगिन में उपलब्ध होगा तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म स्वतः बंद हो जायेगा।**
6. विश्वविद्यालय के वेब पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थियों का पंजीकरण महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही करना अनिवार्य है।
7. इस विवरणिका में वर्णित दिशानिर्देश समस्त महाविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं तथा सभी महाविद्यालय इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. समस्त महाविद्यालय इस विवरणिका पुस्तिका को अपनी-अपनी वेबसाइट पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के सूचनार्थ अपलोड करेंगे।
9. यह सूचना पुस्तिका/विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है तथा समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिनियमों के अधीन हैं। इस विवरणिका में दी गयी समस्त सूचनाएं प्रामाणिक हैं तथा तत्पश्चात होने वाला कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
10. अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अर्ह हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण इस विवरणिका पर उपलब्ध है।

11. अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और उनकी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में सही हैं। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं एवं वेब पंजीकरण फॉर्म में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
12. वेब पंजीकरण फॉर्म के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रूपये 50/- पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों द्वारा किया जायेगा।
13. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में पत्र व्यवहार एवं सन्दर्भ हेतु वेब पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति/फ़ीस जमा करने का विवरण अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। महाविद्यालय विद्यार्थी को ये अभिलेख अवश्य उपलब्ध करायें।
14. महाविद्यालय इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सभी विद्यार्थियों का ई-मेल एवं मोबाइल न० पंजीकरण फॉर्म में सही अंकित हो; क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में विद्यार्थी से ई-पत्राचार किया जा सकता है।
15. किसी भी प्रकार के विषय पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय इस विवरणिका में दिए किसी भी बिन्दु में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी बिन्दु को निरस्त कर सकता है।
16. वेब पंजीकरण फॉर्म एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
  - a) सर्वप्रथम महाविद्यालय अपनी कॉलेज लॉगिन पर जाएँ।
  - b) मुख्य पृष्ठ पर **Web Registration Form 2023-2024** टैब में क्लिक करे, इसके पश्चात् वेब पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
  - c) इस बात का ध्यान रहे कि वेब पंजीकरण फॉर्म भरते समय जब तक आप **Submit** टैब में क्लिक नहीं करते, आप वेब पंजीकरण फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं किन्तु एक बार वेब पंजीकरण फॉर्म सबमिट हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
  - d) पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य हैं; शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् ही पंजीकरण पूर्ण माना जायेगा।
  - e) सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात् आप वेब पंजीकरण फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। वेब पंजीकरण फॉर्म के प्रिंटआउट को सुरक्षित रखें। आप लॉगिन करके भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।
  - f) भविष्य में पत्राचार हेतु कृपया वेब पंजीकरण संख्या (WRN) एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर का प्रयोग अवश्य करें।
17. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही क्रेडिट ट्रांसफर हेतु ABC id उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थी ABC की वेबसाइट **www.abc.gov.in** में जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ABC id हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात् 12 अंकों की एक ABC id प्राप्त होगी; जिसका उल्लेख वेब पंजीकरण फॉर्म में करना होगा।
18. प्रत्येक विद्यार्थी का डिजीलॉकर में पंजीकरण आवश्यक होगा; क्योंकि ABC में पंजीकरण हेतु डिजीलॉकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

## खण्ड-ख

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रवेश/ पाठ्यक्रम संरचना/ परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के क्रम में प्रो. राजेन्द्र सिंह (रजू भय्या) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक (एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी०) पाठ्यक्रम 'चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) की नवीन संरचना से आच्छादित होंगे। यह नवीन पाठ्यक्रम प्रणाली सत्र 2022-2023 तथा आगामी सत्रों के लिए लागू होगी।
- प्रवेश पद्धति :-**
  - विश्वविद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे।
  - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अनुमन्य सीटों एवं प्रवेश नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय/विषय में प्रवेश देंगे।
  - महाविद्यालय स्तर पर पात्रता एवं चरित्र प्रमाणन के आधार पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने और न देने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास होगा।
  - किसी भी संवर्ग (कैटेगरी) तथा भारांक (वेटेज) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
  - विद्यार्थी को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन प्रारम्भ करने तथा सेमेस्टर/ईयर बैक की दशा में नॉन रिफंडेबल होगा।
  - अध्ययन अन्तराल (Study Gap) की दशा में विद्यार्थी रु 10 के हलफनामा में इस विषय का शपथ पत्र देंगे कि इस अन्तराल में उनके द्वारा क्या कार्य किये गये हैं।
  - असत्य जानकारी देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- परास्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु न्यूनतम अहर्ताएं निम्नवत हैं :-**

क्र०स०	पाठ्यक्रम/संकाय	न्यूनतम अहर्ताएं	
1.	एम०ए०/कला संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।	इसके साथ ही धारा-9 में वर्णित पूर्व-पात्रता का अनुपालन भी करना होगा।
2.	एम०एस-सी०/ विज्ञान संकाय		
3.	एम०कॉम०/ वाणिज्य संकाय		

- मूल अभिलेख :** प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल अभिलेख एवं उनकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।  
(महाविद्यालय इनके बिना अभ्यर्थी के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं करेंगे)

1. स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र	6. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
2. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	7. दो रंगीन छायाचित्र
3. इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र	8. प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क
4. माइग्रेशन/ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	9. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	10. आय प्रमाण पत्र

- छात्रवृत्ति :** महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

6. आरक्षण नीति एवं अधिभार प्रक्रिया :- उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा।

महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा :

(क) अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजाति 02 प्रतिशत

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) 27 प्रतिशत

(घ) आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु – सम्पूर्ण अनुमन्य सीटों का 10% (सामान्य वर्ग से)

नोट : 1. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अन्तर्गत आरक्षण किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप – यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अन्तर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित की जाएंगी कि 01 सीट महिला (20% महिला आरक्षण) तथा 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर-अनुदानित) में प्रवेश के लिए 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी की गई है। विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में इसी 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली के आलोक में समस्त प्रवेश सम्पन्न किए जायेंगे।

#### क्षैतिज आरक्षण -

(क) शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए) 05 प्रतिशत

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र/प्रपौत्री) 02 प्रतिशत

(ग) भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी अथवा उनके पाल्य 02 प्रतिशत

(घ) कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री) 01 प्रतिशत

(ङ) महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत

नोट : आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के मूलनिवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

#### अधिभार -

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अधिभार प्रदान किया जायेगा :

(क) एन०सी०सी० "बी०" अथवा "सी०" प्रमाणपत्र धारक 2.5 प्रतिशत

(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ी 05 प्रतिशत

नोट : अधिभार का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।

7. सी०बी०सी०एस० (CBCS) संरचना में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रमुखतः तीन श्रेणियों में विभाजित होंगे।

a) प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य विषय (Core Course) होंगे। मुख्य विषयों के संचालन के लिए विषय/संकाय की सम्बद्धता की अनिवार्यता होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय होना अनिवार्य है।

b) द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत विषय वैकल्पिक (Subject Elective) होंगे। जो मुख्यतः प्रायोगिक प्रकृति के होंगे तथा इनका मूल्यांकन 50% प्रायोगिक/सैद्धान्तिक तथा 50% पूर्ण प्रायोगिक होगा।



c) तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य वैकल्पिक (**Generic Elective**) होंगे। जो मुख्यतः प्रायोगिक प्रकृति के होंगे तथा इनका मूल्यांकन 50% प्रायोगिक/सैद्धान्तिक तथा 50% पूर्ण प्रायोगिक होगा। सामान्य वैकल्पिक प्रश्न पत्र मात्र द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में होंगे।

d) चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत दीर्घ शोध परियोजना (**MRP**) को रखा गया है; जिसका प्रावधान मात्र चतुर्थ सेमेस्टर में होगा।

**8. प्रवेश व्यवस्था :**

a) सर्वप्रथम विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के वेब पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण होगा।

b) महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।

**9. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला संकाय/ विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विषय:-**

महाविद्यालयों में कला संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम			
	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ताएं एवं पूर्व पात्रता
1.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण अथवा समकक्षा
2.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	60	
3.	दर्शनशास्त्र	60	
4.	राजनीति विज्ञान	60	
5.	समाजशास्त्र	60	
6.	अर्थशास्त्र	60	
7.	हिन्दी साहित्य	60	
8.	संस्कृत	60	
9.	अंग्रेजी साहित्य	60	
10.	उर्दू	60	
11.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	40	
12.	शिक्षाशास्त्र	60	
13.	भूगोल	40	
14.	गृह विज्ञान	40	
15.	ड्रॉइंग एवं पेन्टिंग	40	

महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम			
	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ता
1.	एम०कॉम०	60	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०कॉम०/बी०बी०ए०, अर्थशास्त्र अथवा गणित में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्ण।

**महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम**

	विषय	अधिकतम सीट (प्रति सेक्शन)	न्यूनतम अहर्ता एवं पूर्व पात्रता
1.	भौतिक विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।
2.	गणित	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित विषय सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।
3.	वनस्पति विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वनस्पति विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।
4.	जन्तु विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जन्तु विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।
5.	रसायन विज्ञान	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।
6.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	40	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।

**10. परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था-**

- सत्र 2022-23 से एम०ए०, एम०कॉम०, एम०एस-सी० पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्वत सेमेस्टर पद्धति से होंगी।
- सभी विषयों (लिखित/प्रायोगिक/परियोजना आदि) के प्रश्नपत्र **100 अंक** के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- सभी विषयों/प्रश्नपत्रों (प्रायोगिक/दीर्घ शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटर्नशिप को छोड़कर) की परीक्षाएं 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन (ETE) (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी।

**सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों (Core Course) की परीक्षा प्रणाली :**

**सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation):**

- सैद्धान्तिक विषयों प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन तीन अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि एक घण्टे की होगी।
- सैद्धान्तिक विषयों में इन तीन आंतरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आन्तरिक मूल्यांकन लिखित/ सेमिनार/असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी।

**(c.) उदाहरणार्थ :**

<b>सतत आंतरिक मूल्यांकन</b>					
Continuous Internal Evolution (CIE) (सतत आंतरिक मूल्यांकन)	TEST – 1	TEST – 2	TEST – 3	Best of Any Two Test	TOTAL
	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(MM-12.50)	(Test-1/Test-2 /Test-3)	(MM-25)
Paper-1	6.00	7.00	5.00	6.00 + 7.00	13.00
Paper-2	4.00	8.00	6.50	8.00 + 6.50	14.50

- (d.) दीर्घ शोध प्रबन्ध, मुख्य परियोजना, इंटर्नशिप आदि में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा एवं इनकी परीक्षा सत्रान्त में दो (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी।
- (e.) तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से दो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर की परीक्षा के मूल्यांकन में पाये गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- (f.) प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है अन्यथा उस प्रश्नपत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा अर्थात् विद्यार्थी को तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा नहीं तो वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र में अनुपस्थित माना जाएगा।
- (g.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है।
- (h.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण एवं सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा।
- (i.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरान्त वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सम्बंधित संस्था द्वारा कम से कम छः महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है।
- (j.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन के संदर्भ में सम्बंधित शिक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।
- (k.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को सम्बंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- (l.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

### **सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों (Core Course) का बाह्य मूल्यांकन (End Term Evaluation):**

- (m.) सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र (सेमेस्टर) के अंत में संपन्न कराई जाएगी।
- (n.) लिखित सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा 75 अंको की होगी।
- (o.) लिखित परीक्षा की कालावधि **2 घण्टे** एवं शब्द सीमा अधिकतम **2000** की होगी।
- (p.) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाये जायेंगे। जिसमें अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्नपत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जायेंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा :-

प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	शब्द सीमा
अति लघुउत्तरीय प्रश्न	03	03 X 03 = 09	50 शब्द
लघुउत्तरीय प्रश्न	04	04 X 09 = 36	200 शब्द
दीर्घउत्तरीय प्रश्न	02	02 X 15 = 30	500 शब्द
<b>कुल योग</b>	<b>09</b>	<b>75</b>	<b>अधिकतम 2000</b>

### प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन प्रणाली :

- (a.) प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी 100 अंकों में होगा; जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार होंगे
- (b.) 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा का सतत आन्तरिक मूल्यांकन प्रायोगिक-1, प्रायोगिक-2 एवं प्रायोगिक-3 के रूप में तीन अवसरों पर किया जायेगा। प्रत्येक आन्तरिक परीक्षा 25 अंको की होगी; जिनकी प्रकृति पूर्णतया प्रायोगिक होगी। सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित उपरोक्त धारा में वर्णित समस्त नियम लागू होंगे।
- (c.) सत्रान्त में 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त संबंधित विषय के दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। यहाँ पर आन्तरिक शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा शिक्षक है जबकि बाह्य शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य न कर रहे शिक्षक से है। इस प्रकार बाह्य शिक्षक आपके महाविद्यालय से भी हो सकता है और आपके नजदीकी महाविद्यालय से भी हो सकता है। दोनों शिक्षक सम्बन्धित विषय का ही होना चाहिए।
- (d.) महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की सूची प्रायोगिक परीक्षा आयोजन के 3 दिन पूर्व विश्वविद्यालय अनुमोदन हेतु अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएगी।
- (e.) महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षकों की अनुपलब्धता/असमर्थता होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- (f.) सत्रान्त में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान; महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षकों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष समस्त पारिश्रमिक बिल प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- (g.) मूल्यांकन के उपरान्त प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना होगा।

### दीर्घ शोध परियोजना की परीक्षा प्रणाली :

- (a.) चतुर्थ सेमेस्टर में दीर्घ शोध परियोजना (MRP) सम्पन्न होगी, जिसका मूल्यांकन सत्रान्त में दो परीक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। बाह्य परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।
- (b.) दीर्घ शोध परियोजना हेतु विद्यार्थियों को विषय आवंटन द्वितीय सेमेस्टर में ही किया जायेगा तथा प्रत्येक विद्यार्थी को एक शोध पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा; जिसकी सहायता से वह शोध परियोजना पूर्ण कर सकेगा तथा इसका मूल्यांकन चतुर्थ सेमेस्टर में ही होगा।

### प्रोन्नति :

- (a.) विद्यार्थी कुल 60 प्रतिशत क्रेडिट तथा SGPA-4 (Grade-P) अर्जित करने के पश्चात ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60 प्रतिशत से कम क्रेडिट प्राप्तियों की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा।

### बैक पेपर :

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में पुनः देने की स्थिति में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जा सकता है।

- विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर/वर्ष के पेपर्स के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स/वर्ष में ही उपलब्ध होगी।
- किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष/अन्तिम दो सेमेस्टर्स की बैक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार एक विशिष्ट बैक परीक्षा का आयोजन कर सकता है जिससे सम्बन्धित सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम उसी सत्र में पूर्ण किया जा सके।

### क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली :-

- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। सैद्धान्तिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घण्टे के अध्यापन के बराबर होगा।
- मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न पत्र 4/5/6 क्रेडिट के हो सकते हैं, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 क्रेडिट के होंगे। सह-पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजना में कोई क्रेडिट नहीं होगा।
- सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों में 6 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 90 घण्टे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घण्टे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घण्टे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घण्टे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घण्टे की होगी। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में 2 क्रेडिट के प्रश्नपत्र की कक्षाएँ न्यूनतम 60 घण्टे की होगी।

सत्र	प्रश्नपत्र (क्रेडिट)	अध्यापन की न्यूनतम अवधि	
		सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	प्रायोगिक पाठ्यक्रम
वार्षिक/सेमेस्टर	5 क्रेडिट	75 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	4 क्रेडिट	60 घण्टे	-
वार्षिक/सेमेस्टर	3 क्रेडिट	45 घण्टे	90 घण्टे

- समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	10	Outstanding	91-100
A <sup>+</sup>	9	Excellent	81-90
A	8	Very good	71-80
B <sup>+</sup>	7	Good	61-70
B	6	Above Average	51-60
C	5	Average	41-50
P	4	Pass	33-40
F	0	Fail	0-32
AB	0	Absent	Absent
Q	-	Qualified	-
NQ	-	Not Qualified	-

- Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

- परास्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी उत्तीर्णता प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सेमेस्टर 02 अंकों के कृपांक (Grace Marks) का प्रावधान किया जा सकता है।
- कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी किसी भी प्रकार का पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी :

$SGPA (S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर : C <sub>i</sub> = the number of credits of the i <sup>th</sup> course in a semester G <sub>i</sub> = the grade point scored by the student in the i <sup>th</sup> course.
$CGPA = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$	S <sub>i</sub> = S <sub>i</sub> is the SGPA of the i <sup>th</sup> semester C <sub>i</sub> = the total number of credits in the i <sup>th</sup> semester.

- CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 10$$

- विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

- विद्यार्थी उपस्थिति :

- स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति प्रश्न पत्र के क्रम में निर्धारित क्रेडिट की पूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रश्न पत्र के कुल निर्धारित व्याख्यानों/प्रायोगिक सेशन के सापेक्ष विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- परीक्षा आवेदन पत्रों के अग्रसारण/सत्यापन के समय महाविद्यालय के प्राचार्य को विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति उपस्थित होगी।

- परीक्षा शुल्क :

- NEP-2020 के प्राविधानों से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रति परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

- यदि विद्यार्थी किसी प्रश्नपत्र में बैक होता है तो वह सम्बन्धित सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके बैक परीक्षा में भाग ले सकता है।
- यदि किसी विद्यार्थी का सेमेस्टर बैक होता है तो विद्यार्थी को पुनः सम्बन्धित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा; उसके लिए विद्यार्थी को पुनः शुल्क भी जमा करना होगा।

● अन्य :

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से यू.जी.सी./शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन (NPTL, SWAYAM, MOOCS) कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा इलेक्टिव विषयों (Subject Elective) पर ही लागू होगी।
- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय उपरोक्त से सम्बन्धित व्यवस्था की निगरानी एवं समन्वय के लिए किसी सक्षम शिक्षक को "डिजिटल नोडल ऑफीसर" नियुक्त करेंगे। डिजिटल नोडल ऑफीसर प्रत्येक सेमेस्टर में ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएँगे तथा ऐसे विद्यार्थियों का एक डाटाबेस महाविद्यालय में भी संरक्षित रखेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- उपरोक्त समस्त दिशानिर्देश विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
- उपरोक्त दिशानिर्देश के किसी बिन्दु पर संशय/विभ्रान्ति एवं विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

कुलसचिव